

जयपुर, फरवरी 11, 1986

संख्या एक/2 (30) राज/8/85:- पूर्णिक इलाके गांव गंजम धनुषासो में समालिखित वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में घबरा उत्तर पर सरकार के धोरण प्रविष्टि आयोगों के अधिनियमों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 को उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विभाजित क अनुसूची में किया जा चुका है।

धतः अब अनुसूचित अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त गतिविधियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कृषि अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसूची, प्रकीर्ण वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्वारा रक्षित वन कक्षाया आयेगा।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खण्ड	मोटा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
बीकानेर	झुण्ढरणगर	2 एम.के.एम.	2एम.के.एम.	250.00 1.61 वर्ग कि.मी.	

परिमित (ध)

वन खण्ड 2 एम.के.एम. रेखा या विस्तार झुण्ढरणगर जिला बीकानेर का मोटा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	रस्ता संख्या	रस्ता संख्या तक	दूरी जमीन व कट्टियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जमीन	कट्टियां		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	12	00	दक्षिण	सीधी रेखा
2	2	3	10	00	"	"
3	3	4	6	00	"	"
4	4	5	10	00	पश्चिम	"
5	5	6	10	00	"	"
6	6	7	10	00	"	"
7	7	8	10	00	"	"
8	8	9	10	00	"	"
9	9	10	10	00	"	"
10	10	11	5	00	उत्तर	"
11	11	12	2	00	पूर्व	"
12	12	13	4	00	उत्तर	"
13	13	14	2	00	पश्चिम	"
14	14	15	6	00	उत्तर	"
15	15	16	9	00	"	"
16	16	17	2	00	पूर्व	"
17	17	18	2	00	उत्तर	"
18	18	19	8	00	पूर्व	"
19	19	20	10	00	"	"
20	20	21	10	00	"	"
21	21	22	10	00	"	"
22	22	23	4	00	उत्तर	"
23	23	24	6	00	पूर्व	"
24	24	25	2	00	दक्षिण	"
25	25	26	4	00	पूर्व	"
26	26	1	10	00	"	"

नोट:-सर्वे कार्य 82 फीट 8 इंच की जमीन से किया गया है जिसमें 100 कड़ियां होती हैं।
माप से अधिमात्र घरातल की सतह से है।

(अनीता)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

[illegible][illegible]

(अजीता)
वन संरक्षक
विभाग

परिशिष्ट (ग)

अनुसूची 2 में दी गयी सेवा या विवरण के अनुसार न्यूनतम वेतन को सीमा सेवा का विवरण निम्न प्रकार है:-

पाठ्य क्र.

क्र.सं.	संविधान संशोधन अधिनियम 20, 1992	संविधान संशोधन अधिनियम 20, 1992	न्यूनतम वेतन के विवरण में		विवरण	आवृत्ति सेवा के सीमा सेवा का विवरण
			परीक्षा	कक्षा		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	2		10.00	पूर्व	सीमा सेवा
2	2	3		2.00	उत्तर	"
3	3	4		10.00	पूर्व	"
4	4	5		2.00	दक्षिण	"
5	5	5/1		5.00	पश्चिम	"
6	5/1	5/2		2.00	दक्षिण	"
7	5/2	6		5.00	पश्चिम	"
8	6	7		10.00	दक्षिण	"
9	7	8		6.00	पूर्व	"
10	8	9		2.00	दक्षिण	"
11	9	10		2.00	पश्चिम	"
12	10	11		2.00	दक्षिण	"
13	11	12		2.00	पश्चिम	"
14	12	13		2.00	दक्षिण	"
15	13	14		2.00	पूर्व	"
16	14	15		2.00	दक्षिण	"
17	15	16		6.00	पूर्व	"
18	16	17		16.00	दक्षिण	"
19	17	18		8.00	पूर्व	"
20	18	19		2.00	उत्तर	"
21	19	20		2.00	पूर्व	"
22	20	21		20.00	दक्षिण	"
23	21	22		16.00	पूर्व	"
24	22	23		10.00	दक्षिण	"
25	23	24		4.00	पश्चिम	"
26	24	25		2.00	दक्षिण	"
27	25	26		4.00	पश्चिम	"
28	26	27		4.00	दक्षिण	"
29	27	28		2.00	पश्चिम	"
30	28	29		10.00	दक्षिण	"
31	29	30		2.00	पश्चिम	"
32	30	31		6.00	उत्तर	"
33	31	32		2.00	पश्चिम	"
34	32	33		2.00	दक्षिण	"
35	33	34		4.00	पश्चिम	"
36	34	35		2.00	दक्षिण	"
37	35	36		6.00	पश्चिम	"
38	36	37		2.00	दक्षिण	"
39	37	38		2.00	पश्चिम	"
40	38	39		4.00	दक्षिण	"
41	39	40		2.00	पूर्व	"
42	40	41		1.00	दक्षिण	"
43	41	42		4.00	पश्चिम	"
44	42	43		2.00	दक्षिण	"
45	43	44		4.00	दक्षिण	"
46	44	45		2.00	उत्तर	"
47	45	46		2.00	पूर्व	"
48	46	47		10.00	उत्तर	"
49	47	48		2.00	पश्चिम	"
50	48	49		8.00	उत्तर	"
51	49	50		2.00	पूर्व	"
52	50	51		25.00	उत्तर	"

(अजीता)

उप वन संरक्षक
भीकनेर

1	2	3	4	5	6	7
53	51	52		10.00	पुस्तक	पुस्तक
54	52	53		20.00	पुस्तक	"
55	53	54		4.00	पुस्तक	"
56	54	55		2.00	पुस्तक	"
57	55	55/1		2.00	पुस्तक	"
58	55/1	56		10.00	पुस्तक	"
59	56	57		2.00	पुस्तक	"
60	57	58		0.00	पुस्तक	"
61	58	59		0.00	पुस्तक	"
62	59	60		0.00	पुस्तक	"
63	60	61		10.00	पुस्तक	"
64	61	62		16.00	पुस्तक	"
65	62	63		2.00	पुस्तक	"
66	63	64		0.00	पुस्तक	"
67	64	65		4.00	पुस्तक	"
68	65	66		2.00	पुस्तक	"
69	66	67		0.00	पुस्तक	"
70	67	68		0.00	पुस्तक	"
71	68	69		4.00	पुस्तक	"
72	69	70		0.00	पुस्तक	"
73	70	71		4.00	पुस्तक	"
74	71	72		4.00	पुस्तक	"
75	72	1		14.00	पुस्तक	"

पुस्तक

1	1	2		8.00	पुस्तक	पुस्तक
2	2	3		0.00	पुस्तक	"
3	3	4		0.00	पुस्तक	"
4	4	5		2.00	पुस्तक	"
5	5	6		4.00	पुस्तक	"
6	6	7		0.00	पुस्तक	"
7	7	8		20.00	पुस्तक	"
8	8	9		4.00	पुस्तक	"
9	9	10		10.00	पुस्तक	"
10	10	11		12.00	पुस्तक	"
11	11	12		8.00	पुस्तक	"
12	12	13		0.00	पुस्तक	"
13	13	14		18.00	पुस्तक	"
14	14	15		50.00	पुस्तक	"
15	15	16		30.00	पुस्तक	"
16	16	17		2.00	पुस्तक	"
17	17	18		2.00	पुस्तक	"
18	18	19		2.00	पुस्तक	"
19	19	20		1.00	पुस्तक	"
20	20	21		2.00	पुस्तक	"
21	21	22		4.00	पुस्तक	"
22	22	23		4.00	पुस्तक	"
23	23	24		2.00	पुस्तक	"
24	24	25		0.00	पुस्तक	"
25	25	26		2.00	पुस्तक	"
26	26	27		4.00	पुस्तक	"
27	27	28		2.00	पुस्तक	"
28	28	29		4.00	पुस्तक	"
29	29	30		2.00	पुस्तक	"
30	30	31		2.00	पुस्तक	"
31	31	32		4.00	पुस्तक	"
32	32	33		4.00	पुस्तक	"
33	33	34		0.00	पुस्तक	"
34	34	35		0.00	पुस्तक	"
35	35	36		2.00	पुस्तक	"
36	36	37		16.00	पुस्तक	"

(अभिज्ञान)
उप वन संरक्षक
वीकानेर

1	2	3	4	5	6	7
1.1	1.1	1.1		8.00	रु. 8.00	
1.2	1.2	1.2		4.00	रु. 4.00	
1.3	1.3	1.3		12.00	रु. 12.00	
1.4	1.4	1.4		18.00	रु. 18.00	
1.5	1.5	1.5		2.00	रु. 2.00	
1.6	1.6	1.6		2.00	रु. 2.00	
कुल रु.						
1.7	1.7	1.7		10.00	रु. 10.00	
1.8	1.8	1.8		10.00	रु. 10.00	
1.9	1.9	1.9		10.00	रु. 10.00	
1.10	1.10	1.10		10.00	रु. 10.00	
1.11	1.11	1.11		6.00	रु. 6.00	
1.12	1.12	1.12		10.00	रु. 10.00	
1.13	1.13	1.13		4.00	रु. 4.00	
कुल रु.						
1.14	1.14	1.14		8.00	रु. 8.00	
1.15	1.15	1.15		10.00	रु. 10.00	
1.16	1.16	1.16		8.00	रु. 8.00	
1.17	1.17	1.17		10.00	रु. 10.00	
कुल रु.						
1.18	1.18	1.18		10.00	रु. 10.00	
1.19	1.19	1.19		8.00	रु. 8.00	
1.20	1.20	1.20		4.00	रु. 4.00	
1.21	1.21	1.21		2.00	रु. 2.00	
1.22	1.22	1.22		2.00	रु. 2.00	
1.23	1.23	1.23		2.00	रु. 2.00	
1.24	1.24	1.24		2.00	रु. 2.00	
1.25	1.25	1.25		2.00	रु. 2.00	
1.26	1.26	1.26		2.00	रु. 2.00	
1.27	1.27	1.27		2.00	रु. 2.00	
1.28	1.28	1.28		2.00	रु. 2.00	
1.29	1.29	1.29		2.00	रु. 2.00	
1.30	1.30	1.30		2.00	रु. 2.00	
कुल रु.						
1.31	1.31	1.31		8.00	रु. 8.00	
1.32	1.32	1.32		2.00	रु. 2.00	
1.33	1.33	1.33		2.00	रु. 2.00	
1.34	1.34	1.34		2.00	रु. 2.00	
1.35	1.35	1.35		2.00	रु. 2.00	
1.36	1.36	1.36		2.00	रु. 2.00	
1.37	1.37	1.37		2.00	रु. 2.00	
1.38	1.38	1.38		2.00	रु. 2.00	
1.39	1.39	1.39		2.00	रु. 2.00	
1.40	1.40	1.40		2.00	रु. 2.00	
कुल रु.						
1.41	1.41	1.41		8.00	रु. 8.00	
1.42	1.42	1.42		4.00	रु. 4.00	
1.43	1.43	1.43		8.00	रु. 8.00	
1.44	1.44	1.44		4.00	रु. 4.00	
कुल रु.						
1.45	1.45	1.45		10.00	रु. 10.00	
1.46	1.46	1.46		10.00	रु. 10.00	
1.47	1.47	1.47		10.00	रु. 10.00	
1.48	1.48	1.48		10.00	रु. 10.00	

नोट—यहाँ की परिभाषा परमाणु की मात्रा की मात्रा है। यदि यहाँ 10-10 कोट की मात्रा के बिना दया है, तब 100 बहिष्कृत है।

(अनीता)
उप वन संरक्षक
बीकानेर
Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

मूल प्रति

1	2	3
29.	Morus Alba, Linn	शहतूत
30.	Magifera indica, Linn	आम
31.	Parkinsonia aculata	पाकिंग रॉनिया
32.	Ricinus communis	आरण्ड
33.	Prosopis spicigera	खेजड़ा
34.	Prosopis Juliflora	विलायती खेजड़ा
35.	Phoenix sylvestris, Trip	खजूर
36.	Phyllanthus emblica, Linn	आमला
37.	Salvadora oligoides	पीतू
38.	Salvadora persica	जाल
39.	Saccharum munja	गूजा घास
40.	Acacia tortalis	इजराइल बबूल
41.	Tecomella undulata	रोहड़ा
42.	Tenaxia doica Poxb	फरास
43.	Zizyphus jujuba Lam	बर
44.	Zizyphus xylopyra willd	मोट
45.	Zizyphus nummularia	भट शर
46.	Haloxylon Salvecornicum	लाणा

संख्या प2(19) वन/2012 :- चूंकि इसके साथ सलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा राज भूमि सरकार की संपत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण उपज या उसके किसी भाग की हकदार है और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और तौर का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है। परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है। अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा वन बंदोबस्त अधिकारी/सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार किया जायेगा और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तु (PROVISO) द्वारा प्रदत्त शक्तियों अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन भूमि बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में नही होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है इसके साथ सलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी न से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी वन में साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती

प्रथम अनुसूची (वनभूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

(अज्ञीता)

वन वन संरक्षक
जी.स.स.स.

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम नमस्कार/म.क.	नाम राष्ट्रीय	नाम जिला	नमस्कार म.क. क्षेत्रफल	नमस्कार म.क. क्षेत्रफल	नमस्कार म.क. क्षेत्रफल	नमस्कार म.क. क्षेत्रफल	संख्या (क्षेत्रफल म.)	संख्या (क्षेत्रफल म.)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	नामस्कार	राजस्थान राजस्थान क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	1015.42 क्षेत्रफल	नामस्कार	10	74.41	6.13	54.14	पुर्ब - नामस्कार पश्चिम - नामस्कार उत्तर - नामस्कार दक्षिण - नामस्कार
						104	54.14	122.43	452.47	
						366	260.26	24.03	20.43	
						369	24.03	0.05	0.31	
						371	20.43	0.19	0.57	
						372	0.05	0.31	1015.42	
						373	0.19	0.57	क्षेत्रफल	
						374	0.57			

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	2	3
1.	Azadirachta indica, A. Juss	नीम
2	Acacia Arabica willd	कमल
3.	Acacia laqueumontil	कमल
4.	Acacia Senegal	कमल
5.	Aerua tometosa	सुई
6.	Albizia lebbek, Benth	कमल सिरसा
7.	Albizia procera, Benth	सफेद सिरसा
8.	Bauhinia purpurea, Linn	कमल
9.	Bauhinia variegata, Linn	कमल
10	Bombax ceiba (Roxb) Malabar Cum, P.C	समल(सालमानिया श्रेटिका)
11.	Cordia Myxa, Linn	लसीसा
12	Cordia rothi	गुदी
13.	Calligonum polygonoides	कमल
14.	Calotropis procera R.Sr.	आक
15	Cassia auriculata	अखिला
16	Cassia Fistula, Linn	अमलतारा
17.	Capparis decidua	केर
18.	Cenchrus ciliaris	धान्य घास
19.	Dalbergia sissoo, Roxb	शीशम
20.	Dendrocalamos strictus, Ness	पतला बोंरा
21.	Eucalyptus spp	सफेदा
22.	Eugenia jambolane, Lan	जामुन
23	Ficus religiosa, Linn	पीपल
24.	Ficus bengalensis Linn	वड
25.	Holoptelia integrifolia planch	गुरल, कजु काज
26	Lasiurea sindicus	सफेद घास
27.	Leptadenia Reticulata Wight & Ar	क्षीप
28.	Melia azedarach, Linn	कमल
29.	Morus Alba, Linn	शहतूत
30.	Mangifera indica, Linn	आम
31.	Parkinsonia aculata	पार्किन्सन
32.	Ricinus communis	खेजडा
33.	Prosopis spicijera	मिलायती खेजडा
34.	Prosopis Juliflora	खजूर
35.	Phoenix sylvestris, Trip	

(अनीता)

उप वन संरक्षक
दीकानेर

1	2	3
36.	Phyllanthus emblica, Linn	आवला
37.	Salvadora oligoides	पैलू
38.	Salvadora persica	जाल
39.	Saccharum munja	गूजा घास
40.	Acacia tortalis	इजराईल वृक्ष
41.	Leconomia undulata	शोभा
42.	Tamarix dioica Poxb	फरास
43.	Zizyphus jujuba Lam	गूर
44.	Zizyphus xylopyra willd	भीर
45.	Zizyphus nummularia	महा रौर
46.	Haloxylon Salicornicum	खाण

राज्यपाल की आज्ञा से
श्री एस कल्याणी
राजस्थान सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

(अभिज्ञा)
उप वन सचिव
बीकानेर

NOTIFICATION

Jaipur, August 5, 1973.

By Order of the Government, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Rajasthan Forest Act (Rajasthan Act No. 11 of 1927), and all other powers enabling him in this behalf, the Minister in Charge of Forests and Wildlife has declared the strips of land under tree growth on one or either side of the notified roads under control of P.W.D., as per schedule appended herewith, to be protected forests, as per schedule appended herewith, to be protected forests and the provisions of Chapter IV of the said Act and the rules made thereunder to be applicable to them.

In further pursuance of the powers conferred by Section 30 thereof, the Governor of Rajasthan further declares that the trees, shrubs, grass and other vegetation growing on the said strips of protected forest are reserved with effect from the date of publication of this notification in the Gazette and prohibits from the aforesaid date, the cutting, lopping, pollarding, uprooting, setting fire or causing damage to the vegetation, removal of any forest produce in the said forests and breaking up or clearing for cultivation or for building, for grazing of cattle or for any other purpose, of any land in the said forest.

SCHEDULE

District	National Highway No.	Name of the Road	Length in kilometres.
1.	2.	3.	4.
Alwar	8	Shahjahanpur-Kotputli	35
Jaipur	8	Kotputli-Jaipur-Dudu	208
	11	Bharatpur-Jaipur-Sikar	152
Bharatpur	11	Jaipur-Agra	56
		Agra-Bombay	28
	3	Jaipur-Bharatpur	35
Sawai Madhopur	11	Bikaner-Sikar-Jaipur	128
Sikar	11	Bikaner-Jaisalmer-Barnmer	196
Jaisalmer	15	Bikaner-Ganganagar	125
Ganganagar	15	Bikaner-Bikaner	37
Bikaner	15	Arjunmer-Bikaner	215
	8	Jaipur-Ajmer-Bewar-Udaipur	136
Ajmer	23	Udaipur-Bikaner	279
Udaipur	3	Bikaner-Udaipur-Bikaner	34
Dungarpur	11	Gusair-Bikaner	112
Chittur	15	Jaisalmer-Barnmer-Sandhore	189
Barnmer	15	Barnmer-Sandhore	41
Jaipur	15	Bap-Randhwa	110

By Order of the Governor,
J. M. MEHRA,
Secretary to the Government,
Revenue Department, Jaipur.

(अजीता)

उप वन संरक्षक
बीकानेर